

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 6320,
UPBH010055582023



परिवाद संख्या-189/2023

बलिकरन

बनाम

लाल बाबू आदि।

थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच।

23-08-2024

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में परिवादी बिगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है तथा प्रस्तुत परिवाद में परिवादी का धारा 200 द०प्र०सं० के तहत बयान अंकित कराया जा चुका है। धारा 202 द०प्र०सं० के तहत परिवादी द्वारा किसी साक्षी का बयान अंकित नहीं कराया गया है।

परिवाद पत्र पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कविता निगम)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, बहराइच।